लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

ग्रंक 22, सोमवार, 13 दिसम्बर, 1971/22 अग्रहायण, 1893 (शक)

No. 22, Monday, December 13, 1971/Agrahayana 22, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary References—	
जम्मू व कश्मीर के मुख्य मंत्री श्री जी० एम० सादिक तथा श्री भगवानदीन मिश्र का निधन	Deaths of Shri G. M. Sadiq, Chief Minister of Jammu and Kashmir and Shri Bhagwandin Misra	1—8
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	9—10
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee—	
राजघाट समाधि समिति	Rajghat Samadhi Committee ...	10
रक्षा प्रयासों के लिए अधिकाधिक अतिरिक्त उपाय जुटाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Proposed Additional Measures for Maximum Mobilsation of Defence Efforts	
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan ...	10—15
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त अंतरिम राहत देने के संबंध में वक्तव्य	Statement re. Additional Interim Relief to Central Government Employees—	
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan ...	15—17
चीनी संबंधी नीति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Sugar Policy—	
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ...	17—18
निर्वाचन विधि में संशोधन संबंधी संयुक्त समिति—	Joint Committee on Amendments to Election Law—	
प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee ...	18
सभा का कार्य	Business of the House ...	18—19
कोकिंग कोयला खान (आपात उपबंध) विधेयक	Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Bill ...	19—33
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb ...	19—20
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra ...	20—21
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey ...	21—22

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhukar ...	22
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha ...	22—23
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder ...	23—24
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh ...	24
श्री ईश्वर चौधरी	Shri Ishwar Chaudhry ...	24
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam ...	24—25
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	Shri Satyendra Narain Sinha ...	24—25
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh ...	25—26
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi ...	26
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्	Shri S. Mohan Kumaramangalam ...	26—29
खंड 2 से 22, अनुसूचियां तथा खंड 1	Clauses 2 to 22 and the Schedules and Clause 1 ...	29—34
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended ...	34
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ...	34—35
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	35—36
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ...	36
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्	Shri S. Mohan Kumaramangalam ...	36

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 13 **दिसम्बर**, 1971/22 **अग्रहायण**, 1893 (**शक**)
Monday, December 13, 1971/Agrahayana 22, 1893 (Saka)

लोक सभा दस बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री श्री जी० एम० सादिक और लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवानदीन मिश्र के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री जी० एम० सादिक की दु:खद मृत्यु का समाचार सुनकर कल सारा देश दु:ख संतप्त हो गया। पाकिस्तानी आक्रमण से पहले श्री सादिक ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों का दौरा किया था तथा बहादुर जवानों को प्रेरणा दी थी। उस समय वह बीमार हो गये तथा चण्डीगढ़ के अस्पताल में इलाज के लिये दाखिल किये गये। दुर्भाग्य से वह कल चल बसे। हम में से बहुत से व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित थे तथा उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। वह कुछ वर्ष तक जम्मू और कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष रहे थे तथा मुझे 1953 और 1954 में उनके साथ पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री सादिक स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर सैनानी थे। उन्होंने सदा धर्म-निर्पेक्षता, प्रजातंत्र प्रणाली, स्वतंत्रता तथा समाजवाद के सिद्धान्तों का समर्थन किया। इस विषम परिस्थिति में उनके निधन से केवल जम्मू और कश्मीर को ही क्षति नहीं हुई है वरन् सारे देश को क्षति हुई है।

उनकी मृत्यु के समय कल मैं चंडीगढ़ के उसी अस्पताल में था। मैंने उनके पुत्र तथा परिवार के अन्य सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से दु:ख व्यक्त कर दिया था। यद्यपि श्री सादिक इस सदन के कभी सदस्य नहीं रहे तथापि मैंने इस सदन में अपवादस्वरूप उनके बारे में उल्लेख किया है।

श्री भगवानदीन मिश्र वर्ष 1957-62 के दौरान दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे तथा वह उत्तर प्रदेश के कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था तथा वह कई बार गिरफ्तार भी हुये थे। वह महान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे तथा कई शिक्षा संस्थाओं से संबंध रखते थे। उनकी 9 दिसम्बर, 1971 को बहराइच में मृत्यु हो गई।

हमें इन मान्य मित्रों की दुःखद मृत्यु पर भारी दुःख है तथा मुझे विश्वास है कि सदन मेरे साथ उनके संतप्त परिवारों को वेदना पहुँचाने में साथ देगा।

प्रधान मंत्री तथा सभा की नेता (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, भारत के महान सुपुत्र श्री गुलाम मुहम्मद सादिक के निधन पर सारे सदन को जो वेदना हुई है, उसको व्यक्त करने में मुझे गहन संवेदना हो रही है। यद्यपि वह बहुत समय से अस्वस्थ थे तथा लगभग 10 दिन पहले हमने सुना था कि उनकी हालत बहुत चिन्ताजनक है तथापि उनके निधन के समाचार से हमें बहुत धक्का लगा है। उनके निधन से कश्मीर और पूरे भारत को भारी क्षति हुई है।

जैसा कि आपने उल्लेख किया है, वह उन अग्रगण्य नेताओं में से थे; जिन्होंने कश्मीर की जनता को संगठित किया तथा उस राज्य में स्वतंत्रता संग्राम आरम्भ किया। उन्होंने राज्य की पीपुल्स कांफ्रेंस में सक्रिय भाग लिया तथा स्वतंत्रता के बाद वह कश्मीर के विकास में सक्रिय-रूप से भाग लेते रहे तथा कश्मीर में उन मान्यताओं को जगाते रहे जो यहाँ हम सबको अत्यंत प्रिय हैं। वह धर्मनिर्पेक्षता तथा समाजवाद के प्रतीक थे। वह जानते थे कि कश्मीर का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है और उस सुरम्य राज्य में शान्ति और स्थायित्व तभी रह सकते हैं जब वहाँ के भिन्न धर्मावलम्बी शान्तिपूर्वक मिलकर रहें तथा एक दूसरे को सहयोग दें। इसी विश्वास ने उन्हें कार्य करने के लिए शक्ति और प्रेरणा दी।

वह एक साधारण राजनीतिज्ञ न होकर एक प्रतिभा सम्पन्न राजनीतिज्ञ थे तथा व्यापक हितों में विश्वास रखकर सामान्य जनता को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने में भारी रुचि रखते थे। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि वह अन्त तक जागरूक रहे तथा अस्वस्थ होने पर भी उन्होंने बंगला देश को मान्यता के बारे में संदेश भेजा था। बीमारी की हालत में भी वह नवीनतम घटनाओं की जानकारी पाने के लिये प्रश्न करते रहे।

उन्हें नई प्रकाशित पुस्तकों में बहुत रुचि थी तथा मेरे लिये वे क्षण अत्यंत आनन्ददायक थे जिनमें उनके साथ बैठ कर मैंने नये प्रकाशनों पर विचार-विमर्श किया तथा विश्व के विभिन्न भागों में पनपने वाली विभिन्न विचारधारा पर विचार-विमर्श किया था।

वह बहुत विषम स्थिति में कश्मीर के मुख्य मंत्री बने थे किन्तु वह वहाँ सैनिकों के लिये प्रेरणा बन गये तथा उन्होंने जनता को सभी प्रकार के आक्रमणों का मुकाबला करने के लिये प्रोत्साहित किया। हमें उनका निधन इसलिये भी अधिक दुःखदाई है कि आज हम उन्हीं सिद्धान्तों के लिये लड़ रहे हैं, जिनका उन्होंने समर्थन किया था अर्थात् प्रजातंत्र, समाजवाद और धर्म निर्पेक्षता तथा अपनी क्षेत्रीय अखण्डता की सुरक्षा। उन्होंने हमेशा लाभप्रद और संतुलित परामर्श दिये जिनसे आज हम वंचित हो गये हैं।

मेरा निवेदन है कि आप हमारी सम्वेदना को उनकी पत्नी, उनके पुत्र और उनके स्वजनों तक पहुँचा दें ।

उत्तर प्रदेश से निर्वाचित इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवानदीन की 9 दिसम्बर को हुई मृत्यु पर भी मैं शोक व्यक्त करना चाहती हूँ । वह एक क्रियाशील राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपने राज्य तथा अपने जिले बहराइच की बहुत वर्षों तक सेवा की । स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह कई बार जेल गये । वह एक महान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे । तथा उन्होंने बहराइच में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान किया । वह जिला बोर्ड के कई वर्ष तक अध्यक्ष रहे । यद्यपि उनकी मृत्यु 80 वर्ष आयु में हुई तथापि वह अभी तक कार्यरत थे । उनके निधन पर हम हार्दिक शोक व्यक्त करते हैं तथा उनके परिवार के साथ गहन संवेदना व्यक्त करते हैं ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : अपने दल की ओर से मैं श्री सादिक की असमय और दु:खद मृत्यु पर व्यक्त किये गये शोक के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ । वह कश्मीर की जनता के जाने-माने नेता थे । उन्होंने धर्मनिर्पेक्षता का बहुत प्रसार किया । उनके अचानक निधन से केवल जम्मू और कश्मीर की जनता को ही क्षति नहीं हुई है अपितु, सारे देश को क्षति हुई है । अत: मेरा अनुरोध है कि आप हमारी गहन संवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुँचा दें ।

अपने दल की ओर से मैं श्री भगवानदीन मिश्र की दु:खद मृत्यु पर व्यक्त किये गये शोक के समय स्वयं को संबद्ध करता हूँ तथा आप से निवेदन करता हूँ कि उनके संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुँचा दें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय ! कल श्री गुलाम मुहम्मद सादिक के असमय निधन का समाचार सुनकर भारी आघात पहुँचा इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों की उनसे व्यक्तिगत मित्रता थी । उनके निधन से हमें व्यक्तिगत क्षति ही नहीं हुई है वरन् समस्त देश इस विशेष अवसर पर उनकी क्षति को पूरा करने में असमर्थ है । जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है श्री सादिक अत्यन्त मित्र प्रकृति के राजनीतिज्ञ थे तथा मेरे विचार से वह प्रजातंत्र प्रणाली, धर्मनिर्पेक्षता और समाजवाद के कश्मीर में दैदीप्यमान प्रतीक थे । आज भारत पर थोपे गये युद्ध में ये सिद्धांत ही हमारे महान अस्त्र हैं । ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने कश्मीर राज्य का जिस प्रकार नेतृत्व किया, उससे विदित होता है कि एक विनीत व्यक्ति होने के साथ साथ वह अपने सिद्धान्तों के कितने पक्के थे तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपने कर्त्तव्यों के पालन करने में कितने समर्थ थे ।

आज भारतीय नीति के मूलभूत सिद्धान्तों को, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में, पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । आज हमारा देश उस संघर्ष में जुटा है जिसका संबंध उस क्षेत्र की मुक्ति के लिये संग्राम से है, जिसकी माँग बहुत दिनों से की जा रही है । वर्तमान परिस्थितियों में कश्मीर का नेतृत्व, जो प्रजातंत्र, धर्मनिर्पेक्षता और समाजवाद के प्रति भारतीय आस्था का दैदीप्यमान प्रतीक है, कहने में श्री गुलाम मुहम्मद सादिक ही समर्थ थे किन्तु उन्हें हमसे छीन लिया गया है । इस स्थिति में केवल उनके परिवार के साथ गहन संवेदना व्यक्त करने के अतिरिक्त कर भी क्या सकते हैं ? कश्मीर और भारत की जनता, जिससे ऐसे प्रतिष्ठित नेता

को छीन लिया गया है जिसको पुन: पाना कठिन है, के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं अपने दल की ओर से श्री सादिक और श्री भगवानदीन, उत्तर प्रदेश से भूतपूर्व सदस्य, के दु:खद निधन पर व्यक्त किये गये शोक के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि उनके दु:ख-संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदना पहुँचा दें।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, our beloved statesman has been snatched away from us at this critical juncture when our jawans are fighting gallantly on the border. Shri Sadiq was a fine man. He was not proud of his high position. Power did not make him arrogant. He endeared himself to all. He was a [true nationalist leader in thought, word and deed. He played an important role in instilling sense of nationalism among the people of Kashmir. He lent stability to that state in the capacity of a Chief Minister. His sad demise is a great loss not only to the State of Jammu and Kashmir but to the entire country. His example will always he a source of inspiration to us. It is an irony of fate that he has been taken away from us at a time when he was most needed. Now, the responsibility of Jammu and Kashmir has devolved on the shoulders of Mir Saheb. We hope that this border State would be able to encounter the aggression strongly and succeed in going ahead in the sphere of development under the new leadership.

Pandit Bhagwandin Mishra was an active political worker of Uttar Pradesh. He was active both inside and outside Parliament. I had the privilege to meet him a few days ago. Even in his old age he worked incessently. We also mourn his loss. Kindly convey our condolences to the bereaved families.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : महोदय ! समय की अबाध गति अपना अनिवार्य कर चुकाती चलती है किन्तु सादिक साहेब की आयु केवल 59 वर्ष थी तथा हम चाहते थे कि काल उन्हें कुछ वर्ष और हमारे बीच रहने देता जिससे वह राष्ट्रीय जीवन में अपना अधिक योगदान करते रहते। सादिक साहेब के निधन से हमने केवल स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी को ही नहीं खोया है वरन् हम एक ऐसे व्यक्ति से वंचित हो गये हैं जो अत्यन्त ईमानदार थे तथा विनम्रता के प्रतीक के साथ जो धर्मनिर्पेक्षता, समाजवाद और प्रजातांत्रिक प्रणाली के हमारे मौलिक सिद्धान्तों के प्रश्न पर चट्टान की तरह अडिग थे।

सादिक साहेब ने अपना राजनीतिक जीवन 1931 से आरम्भ किया। आधुनिक युग में जम्मू और कश्मीर में प्रथम राजनीतिक आन्दोलन मुस्लिम कांफ्रेंस के रूप में आरम्भ हुआ था किन्तु कुछ ही वर्षों के बाद जनता में धर्मनिर्पेक्षता के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो गई तथा 1938 में 'मुस्लिम कांफ्रेंस' श्री सादिक की अध्यक्षता में नेशनल कांफ्रेंस के रूप में बदल गई। उसके पश्चात् श्री सादिक ने 1947 तक नेशनल कांफ्रेंस की गतिविधियों का नेतृत्व किया। 1947 में जब पाकिस्तान ने पहला आक्रमण किया, हमें यह बात याद रखना आवश्यक है कि यह 1947 में स्वाधीनता के पश्चात् होने वाले आक्रमणों के क्रम में एक और आक्रमण ही है—तो कश्मीर की जनता ने धर्म, जाति अथवा समूहगत बन्धनों को ठुकराकर आक्रामक को खदेड़ दिया। दो राष्ट्र के विषाक्त सिद्धान्त को वह पहला आघात पहुँचा था तथा बांगला देश के रूप में उस सिद्धांत की आज मृत्यु हो गई है तथा इस सबल आन्दोलन में सादिक साहेब ने भारी योगदान किया।

मुझे स्मरण है जब मैं पहली बार राज्य प्रतिनिधि के रूप में कश्मीर गया था तथा संविधान सभा का आयोजन किया था। उस समय सादिक साहेब संविधान सभा के पहले अध्यक्ष

चुने गये थे। उन्होंने पहले कुछ वर्षों तक इस संस्था के विचार-विमर्श का मार्ग-दर्शन किया। तत्पश्चात जब यह विधान मण्डल के रूप में परिणित हुई तब वह दूसरे पहले अध्यक्ष बने।

उसके पश्चात कुछ अन्तराल को छोड़कर वह मंत्री बने तथा फरवरी, 1964 में मुझे उन्हें राज्य के मुख्य मंत्री के पद पर शपथ दिलाने का सौभाग्य मिला। तभी से सात वर्ष तक उन्होंने अस्वस्थ होने पर भी रात-दिन परिश्रम किया। वह केवल इसी बार बीमार नहीं रहे वरन् उनका स्वास्थ्य कई वर्षों से खराब था। किन्तु राष्ट्र की सेवा करने के लिये उनमें अदम्य साहस और लगन थी।

वर्ष 1965 में जब पाकिस्तान ने दुबारा आक्रमण किया, श्री सादिक मुख्य मंत्री थे तथा कश्मीर की जनता ने उनसे प्रेरणा पाकर तथा उनके मार्गदर्शन में पुनः आक्रामक को मार भगाया। इस बार भी अस्वस्थ होने के बावजूद, जब कि गत दो तीन महीने से अधिक बीमार थे, वह सीमावर्ती क्षेत्रों पर गये तथा चण्डीगढ़ आने से पहले उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। सदन को स्मरण होगा कि चण्डीगढ़ से भी उन्होंने अंतिम संदेश भेजा जिसमें जम्मू और कश्मीर की जनता का आक्रामक को मार भगाने तथा धर्मनिर्पेक्षता और समाजवाद के प्रिय सिद्धान्तों के हित में लड़ने का आह्वान किया। यह एक मार्मिक घटना है कि अचेत होने से पूर्व उन्होंने पूछा था कि क्या ढाका मुक्त करा लिया गया है।

अतः आप समझ सकते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति थे जो मृत्यु-शैय्या पर पड़े हुए भी राष्ट्रीय एकता तथा इन सिद्धान्तों के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हम एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो महान नेता के साथ-साथ एक दुर्लभ ईमानदार व्यक्ति थे।

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपुट) : अध्यक्ष महोदय ! यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री श्री सादिक का इस विषम स्थिति में हृदयगति रुक जाने से मृत्यु हो गई। अपने दल की ओर से मैं श्री सादिक के दुःखद निधन पर आपके द्वारा तथा प्रधान मंत्री के द्वारा व्यक्त किये गये उद्गारों से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

मुझसे पहले जिन माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएँ व्यक्त की हैं, उन्होंने श्री सादिक के वैविध्यपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला था तथा जम्मू और कश्मीर की समस्याओं को सुलझाने में उनकी योग्यता का उल्लेख किया। जब मैं श्री वाजपेयी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति का सदस्य था, तब मुझे श्री सादिक के निवास स्थान पर जाने का सुयोग मिला था। मैं श्री सादिक की उस घनिष्ठतापूर्ण व्यवहार को देखकर तथा उनकी शिष्टता और स्नेह को देखकर चकित रह गया जो उन्होंने समिति के सदस्यों के साथ किया। यद्यपि वह मुख्य मंत्री थे, तथापि वह विनम्रता और शिष्टाचार की प्रतिमूर्ति थे।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

मुझे पूरा विश्वास है कि श्री सादिक के निधन पर संपूर्ण देश की जनता शोकातुर है जिन्होंने हिमाचल सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जवानों का मार्गदर्शन किया तथा जो हिमालय की भाँति अडिगता के प्रतीक थे। इस परिस्थिति में जब कि हमारे देश पर बाहरी आक्रमण का खतरा विद्यमान है, उनके निधन से हुई क्षति की पूर्त्ति करना कठिन है। उनका निधन इस बात का दूसरा उदाहरण है कि मृत्यु के चंगुल से कोई भी प्राणी मुक्त नहीं रहता चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो। श्री सादिक उन व्यक्तियों के लिये प्रेरणा स्रोत रहेंगे जिनके ऊपर उस कार्य का भार आ गया है जो वह पूरा नहीं कर पाये।

मैं अपने दल की ओर से आपसे निवेदन करता हूँ कि उनके संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक संवेदना पहुँचादें। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूँ कि लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवान दीन मिश्र के संतप्त परिवार तक की भी हमारी गहन संवेदना पहुँचा दें।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : Mr. Speaker, Sir, there could not be a greater loss to the nation at this time then the death of Shri Sadiq. Many of us had the privilege of having personal contact with these two persons to the memory of whom we are paying our tributes. We got the opportunity to sit here with Shri Mishra for several years. Shri Sadiq was in Kashmir yet he was near to us. His image was always implanted in the minds of the people. There were certain differences in the congress before the split but the seriousness and the gentleness of Shri Sadiq proved him a matchless person. He was an embodiment of probity and gentleness. Many people indulge in creating illusions by words only but Shri Sadiq was such a strong character that whosever came in his contact was deeply impressed by him. We had had several occasions to talk to him and the impression I got was that though his leadership was confined to Kashmir in a greater measure, it were better if the whole nation could benefit from his leadership. He played a prominent role in our national life. The reason being that he epitomised the ideals which this country cherishes. He led us in our struggle and whenever there was a danger to our independence, he proved to be a great sentinel. Being the Chief Minister of Kashmir he was not only the Chief Administrator but also in the vanguard of active politics. He bore the high responsibilities. To day, the whole country is in gloom on his death. The news of his death has rocked the entire country and I think it will take time to recover from the shock.

On behalf of my party I request you to kindly convey our sincere condolences to the bereaved families.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : अध्यक्ष महोदय ! सादिक साहेब महान राजनीतिज्ञ तथा महान नेता के रूप में विख्यात थे। किन्तु वह एक महान व्यक्ति और महान आत्मा भी थे। सादिक साहेब एक मूक राजनीतिज्ञ थे और शांत स्वभाव वाले नेता थे। बहुत से व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे। किन्तु जो उनसे परिचित थे, उन्हें यह ज्ञात होगा कि वह मूलतः कवि थे जो बाद में राजनीति में भटक आये। कश्मीर के वह एक ऐसे नेता थे जिनके हृदय में समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता तथा प्रजातन्त्र प्रणाली के सिद्धांत गहरे समाये हुए थे तथा वास्तविक थे। उनका शारीरिक और नैतिक साहस अदम्य था। मुझे विश्वास है कि उनके समसामयिक व्यक्तियों में तथा उनके सहयोगियों में से किसी में उतना नैतिक साहस नहीं है।

श्री सादिक साहेब मेरे राजनीतिक विरोधी थे। मुझे उनकी कटुतम आलोचना करने

का अवसर प्राप्त हुआ तथापि वह मेरे परम मित्र थे। मैंने जब भी उनकी समाचार-पत्रों अथवा विधान सभा में आलोचना की तथा उसके पश्चात जब भी हम आपस में मिले, उन्होंने कभी भी मुझ से अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की। वास्तव में वह आलोचना को प्रोत्साहन देते थे और जब भी उनके मित्रों ने उनसे कहा कि आप अपने आलोचकों पर बहुत महरबान रहते हैं तो उन्होंने उन्हें बताया कि आलोचना ही प्रजातंत्र प्रणाली का सार है।

कश्मीर के वह ऐसे प्रथम मुख्य मंत्री थे जिन्होंने कश्मीर की राजनीति को उदार बनाया तथा जो अन्त तक प्रजातंत्र विरोधी शक्तियों और निरंकुशता से जूझते रहे। इस बात को उनके सहयोगी समझते थे किन्तु उनमें विपक्षी दलों से जूझने के अतिरिक्त अपने उन मित्रों से जूझने का अदम्य साहस था जो उनके सिद्धांतों के विरोधी थे।

सादिक साहेब के निधन से सम्पूर्ण देश को तो क्षति पहुँची ही है किन्तु कश्मीर को अधिक क्षति पहुँची है क्योंकि वहाँ की जनता उन्हें केवल आदर ही नहीं देती थी वरन् उनसे प्यार भी करती थी। कल जब श्री सादिक के निधन का समाचार दिया गया तो मैंने उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा भेजे गये संदेशों को भी सुना। उनके हृदयों में वास्तविक शोक था। इन दिनों श्री सादिक की भाँति निर्दोष-जीवन जीना राजनीतिक नेताओं के लिए अत्यन्त कठिन है।

यदि हम उनके इस संदेश को याद रखें, जो उन्होंने राष्ट्र के नाम दिया था, कि मानव प्रतिष्ठा तथा प्रजातंत्रीय मूल्य ही सर्वोपरि हैं तथा उनकी रक्षा की जानी चाहिये, तो हम श्री सादिक को वास्तविक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्री सादिक का ऐसी विषम स्थिति में देहावसान हुआ है जब धर्मनिर्पेक्षता के लिए हमारा संघर्ष हमारी सीमाएँ भेदकर बंगला देश की जनता के हृदयों तक पहुँच गया है। कश्मीर हमारे लिये केवल राष्ट्रीय एकता का ही प्रतीक नहीं है, वरन् यह धर्मनिर्पेक्षना की कसौटी भी रहा है तथा उन मूल्यों के लिए सादिक साहेब अन्त तक लड़ते रहे। हम उनसे ऐसी स्थिति में वंचित हुए हैं, जब हम सभी प्रकार के दमनों से उन मूल्यों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः इस कारण हमको, उनकी क्षति और भी दुःखदाई हो गई है। सादिक साहेब का मृत शरीर इस मातृभूमि के वक्षस्थल में बसकर उसी का अंग बन गया है जिसके हितों के लिए वह लड़ते रहे थे। मैं श्री सादिक तथा श्री मिश्र, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहादुर सैनानी रहे, के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : Mr. Speaker, Sir, we have been bereft of a person who was not only a statesman of high standing but aslo a man of sterling qualities. Shri Sadiq's death is a terrble loss to the country particularly at this critical time when the prodigies like him are not very many in the country.

Shri Sadiq made his debut in public life in 1931 and fought against the forces of feudalism. He resolved to fight for the humanity and the poor. Being a Kashmiri I had known him well. I think the best way of paying our tributes to him is to put his principles into practice. It is also a fact that he fought against several strong forces. During those

upheavals several leaders lost their confidence but he did not digress from the path. He was an embodiment of secularism, nationalism and socialism. I express my feeling before the House and assure you that the people of Kashmir will follow the path paved by Shri Sadiq. I think we will be able to solve the various problems before the country in pursuance of the principles laid down by him. I also hope that we will have victory in our credit in this way.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : श्री सादिक ने अपने अन्तिम समय में पूछा था कि क्या ढाका का पतन हो गया है ? इससे पता चलता है कि उन्हें बंगला देश में कितनी रुचि थी और बंगला देश के स्वतंत्रता सेनानियों को वे कितना प्यार करते थे ।

श्री सादिक के निधन से राष्ट्र को जो हानि हुई है, उसे आँका नहीं जा सकता है । वे विद्वान थे और महात्मा गांधी के अनुयायी थे, उनका ध्यान हमेशा निर्धनों तथा शोषित व्यक्तियों की ओर रहता था । उन्होंने कश्मीर में जो सुधार तथा अन्य कार्य किए हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा ।

मैं उनके शोकित परिवार को अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ और उनको सदस्यों की संवेदना पहुँचा दी जानी चाहिए ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं पंडित भगवानदीन मिश्रा के निधन पर अपना शोक प्रकट करता हूँ और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

श्री मिश्रा बहराइच जिले के थे और वैद्यजी के नाम से लोकप्रिय थे । ये वीर स्वतंत्रता सैनानी थे और उन्हें स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल जाना पड़ा था । गत 50 वर्षों से वे बहराइच जिले के हर क्रिया-कलाप से संबंधित रहे हैं ।

शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान विशेष रूप से प्रशंसनीय रहा है । वे दूसरी लोक सभा के सदस्य थे तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभा के भी सदस्य रह चुके थे । उन्होंने जिला परिषद और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया था । उन्होंने हमेशा शोषण, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी । उनके निधन से राष्ट्र ने एक देशभक्त खो दिया है । मैं श्री जी० एम० सादिक के निधन पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए कुछ देर मौन खड़ी हो ।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मैं श्री राजबहादुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

नाविक भविष्य निधि, 1970-71 के संचालन के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन

तथा

मैसूर मोटर गाड़ी (संशोधन) नियम आदि के संबंध में अधिसूचनाएं आदि

(1) नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के संचालन के संबंध में वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) मैसूर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—1261/71**]

(एक) मैसूर मोटर गाड़ी (आठवां संशोधन) नियम, 1971, जो मैसूर राजपत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 271 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) मैसूर मोटर गाड़ी (नौवाँ संशोधन) नियम, 1971, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 296 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—1262/71.**]

(3) मैसूर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1957 की धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मैसूर सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति —

(एक) एस० ओ० 1493, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) एस० ओ० 1416, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—1263/71.**]

(4) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात मालगाड़ी कराधान

अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की अधिसूचना संख्या जी० एच०/जी०/71/140/ एम० टी० ए०/1769/24353/ई (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1264/71.**]

समिति के लिये निर्वाचन
राजघाट समाधि समिति

ELECTION TO COMMITTEE
Rajghat Samadhi Samiti

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गुजराल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए, राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए, राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

रक्षा प्रयासों के लिये अधिकाधिक अतिरिक्त उपाय जुटाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. PROPOSED ADDITIONAL MEASURES FOR MAXIMUM MOBILISATION OF DEFENCE EFFORT

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :

महोदय,

मैं सम्मानित सदन को उन अतिरिक्त उपायों के बारे में विश्वास में लेना चाहूँगा जिन्हें हम देश की रक्षा के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाने के उद्देश्य से अपनाने का प्रस्ताव करते

हैं। परन्तु इन उपायों के बारे में बतलाने से पहले यह जरूरी है कि मैं संक्षेप में उन घटनाओं की समीक्षा करूँ जो मई में बजट पेश किये जाने के बाद घटी हैं।

2. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि चालू वर्ष के नियमित बजट में, जिस रूप में वह अंततः पास हुआ था, आयोजना और समाज कल्याण के परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की परिकल्पना की गई थी, और बंगला देश से आए शरणार्थियों को राहत पहुँचाने के लिए भी उसमें 60 करोड़ रुपये की साधारण-सी व्यवस्था की गई थी। इस अंतिम व्यवस्था में अगस्त मास में 200 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई थी और 100 करोड़ रुपये की एक और माँग संसद के विचाराधीन है।

3. शरणार्थियों का यह बोझ लगातार बढ़ता ही गया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दी गई सहायता से आंशिक रूप में ही कमी हुई; इस बोझ के साथ ही हमें अनेक राज्यों में दैवी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, जिनमें उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में आए विनाशकारी तूफान की विपत्ति भी एक थी। इन विपत्तियों के कारण संबंधित राज्यों के लिए केन्द्र से बहुत अधिक सहायता देने की आवश्यकता पड़ी। ऐसी संभावना है कि रक्षा का खर्च भी बजट में की गई व्यवस्था से अधिक होगा। हमने इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने में न कोई कमी रखी है और न कमी रखेंगे कि हमारी सशस्त्र सेनाएँ मातृभूमि की अखंडता और उसके सम्मान को सुरक्षित रखने के अपने शौर्यपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया सुसज्जित रहें।

4. इसी पृष्ठभूमि में, हम पिछले कई महीनों से अपनी राजस्व संबंधी स्थिति की बराबर समीक्षा करते रहे हैं। सर्वप्रथम हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि आयोजना-भिन्न व्यय में अधिक से अधिक किफायत की जाए। केन्द्रीय-मंत्रालयों को ये निदेश दे दिए गए हैं कि वे अपने असांविदिक आयोजना-भिन्न व्यय में कम से कम 5 प्रतिशत की कमी करें और हमें आशा है कि इससे 50 से 60 करोड़ रुपये तक की बचत हो जाएगी। हमने राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से भी इसी प्रकार की किफायत करने के लिए अनुरोध किया है। आयोजनागत व्यय के मामले में भी, योजना आयोग, मंत्रालयों और राज्यों के साथ परामर्श करते हुए, इस समय इस बात की खोज-बीन करने में लगा हुआ है कि आयोजनागत परियोजनाओं में भी, चालू योजनाओं की प्रगति को प्रभावित किए बिना, किफायत करने की गुंजाइश कहाँ-कहाँ है। हमने मुख्य मंत्रियों के साथ भी कई बैठकें की हैं जिनका उद्देश्य यह था कि राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ली जाने वाली ओवरड्राफ्ट राशियों में योजनाबद्ध तरीके से कमी की जाए।

5. राजस्व संबंधी व्यय को सीमित करने के इन उपायों के साथ-साथ, सरकार साधन बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करती रही है। प्रत्यक्ष-कर-मंडल से गया है कि आय-कर और निगम-कर की बकाया रकमों को जल्दी-जल्दी वसूल कर ले, और संभावना है कि इस वर्ष प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत वसूल की गई कुल राशि बजट अनुमानों से कहीं 70 करोड़ रुपये अधिक होगी। आयात-लाइसेंसों की परिवृद्धि के कारण, मुझे आशा है कि सीमा-शुल्क के रूप में भी, पूर्व-अनुमानित राशि की अपेक्षा 80 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होंगे। अल्प-बचतों के रूप में भी, बजट में अनुमानित राशि से अधिक रकम इकट्ठी हो जाने की आशा है, और बाजार-ऋणों के रूप में जितनी राशि प्राप्त होने की मैंने बजट के समय कल्पना की थी, उससे अधिक राशि तो अब तक प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान करों और अन्य राजस्व शीर्षकों के अंतर्गत अधिक संग्रह होने

के अलावा, सम्मानित सदस्यों को मालूम ही है कि मैंने अभी पिछले सप्ताहों में नए कर-आदि लगा कर साधन बढ़ाने के लिए कुछ नए कदम भी उठाए हैं। इस मामले में राज्यों की ओर से बड़ी समझ-बूझ के साथ जो सहयोग मिला है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इन उपायों का एक अच्छा असर यह हुआ है कि इनसे समग्र घाटे को सीमित रखने में सहायता मिली है, जिसके उभर आने का खतरा था। इतना होते हुए भी, चालू वर्ष के पहले आठ महीनों में, अर्थात् मार्च के अंत से लेकर नवम्बर तक की अवधि में ही केन्द्र की व्यय व्यवस्था में 340 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है जबकि संसद द्वारा अंततः अनुमोदित बजट में पूरे वर्ष के लिए 233 करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था थी।

6. पाकिस्तान ने हमारे देश पर जो दुस्साहसपूर्ण आक्रमण कर दिया है, उसके कारण भी अब हमारे आर्थिक और राजस्व संबंधी प्रयत्नों में और वृद्धि करनी पड़ रही है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हमारे रक्षा प्रयत्नों में किसी प्रकार की कमी रखने का कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता, और सम्मानित सदस्य आश्वस्त रहें कि हमारी सेनाओं को उनके शौर्यपूर्ण कार्यों में सहयोग देने के लिए जितनी भी और धन-राशि की आवश्यकता होगी, उसके लिये पूरी-पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, कुछ देशों द्वारा हमें आर्थिक सहायता देना बंद कर दिए जाने के कारण, सम्भव है कि हमें अपने समग्र साधनों की स्थिति पर फिर से विचार करना पड़े, इस दिशा में जो कुछ भी जरूरी होगा, अवश्य किया जाएगा। सम्मानित सदस्यों को विदित ही है कि उद्योग-धन्धों और कृषि के क्षेत्र में भी हमारी क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है; साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में हमने अपनी विदेशी मुद्रा-निधि में भी पर्याप्त वृद्धि कर ली है। जब तक हम एक-जुट हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़संकल्प हैं, तब तक इस प्रकार की आशंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई हमें आर्थिक या किसी अन्य प्रकार की धमकियों और दबावों से अपने न्यायपूर्ण मार्ग से विचलित कर सकता है।

7. अतः हमें अपने साधनों को सावधानी के साथ उपयोजित करने और खर्च में किफायत करने के लिए आवश्यक राजस्व-संबंधी और अन्य उपाय करने की आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि विदेशी मुद्रा के खर्च में भी किफायत करने के लिए कदम उठाए जाएँ। इस कार्य में सारी जनता को सरकार का साथ देना होगा, क्योंकि रक्षा प्रयत्नों के लिए वे ही साधन उपलब्ध हो सकते हैं जिनका उपयोग जनता नहीं करेगी। दूसरी ओर, इस घड़ी में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था कर देना हमारे लिए और भी आवश्यक हो गया है कि कीमतें बढ़ने न पायें और आवश्यक वस्तुएँ सभी को, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को, नियमित रूप से मिलती रहें।

8. अब हम भारत रक्षा नियमों के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण और वितरण के विषय में प्रभावपूर्ण कार्यवाही कर सकते हैं। तथापि, मैं आशा करूँगा कि जनता के जिम्मेदार वर्ग जिनमें उद्योगपति और व्यापारी वर्ग भी शामिल हैं, अपने आप ही ऐसे उपाय कर लेंगे जिनसे कि हमें भारत रक्षा नियमों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मैं जानता हूँ कि श्रमिक संघों के नेता और अन्य लोग भी रक्षा-प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, मुझे आशा है कि वे उन माँगों को सीमित रखने के लिए भी अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे, जिन माँगों से राजकोष पर या कीमतों पर अधिक दबाव पड़ सकता है। इसी प्रकार कम्पनियाँ भी, मुझे आशा है, लाभांशों के वितरण पर अंकुश रखने की नीति अपनाएँगी।

9. इसमें कोई संदेह नहीं कि देश का हर आदमी, चाहें वह किसी संप्रदाय या वर्ग का हो, हमारे रक्षा-प्रयत्नों में पूरा सहयोग देगा। सम्मानित सदस्य राष्ट्रीय रक्षा कोष के महत्व को भलीभाँति जानते हैं। पिछले दशक में दो बार, यानि 1962 में और 1965 में, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया था और उस समय जनता ने इस कोष में उत्साह-पूर्वक दान दिया था। मुझे विश्वास है कि जनता इस बार भी पीछे नहीं रहेगी। इस राष्ट्रीय प्रयत्न में योगदान देते हुए हमें रेडक्रास या प्रधानमंत्री सहायता कोष जैसे अभिकरणों की जरूरतों को भुला नहीं देना चाहिए क्योंकि इन अभिकरणों पर भी इस समय पहले से अधिक भारी जिम्मेदारी आने वाली है।

10. इनके अलावा, बचत की रकमें जुटाने के लिए इस समय और भी कई विशेष योजनाएँ चल रही हैं जिनमें अनेक प्रकार के राष्ट्रीय बचत-पत्र शामिल हैं। मेरा अनुरोध है कि लोग इन योजनाओं में उदारतापूर्वक पैसा लगाएँ। इसी संबंध में, मैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की सराहना करना चाहूँगा जिन्होंने अपने वेतन-भत्तों की कुछ राशि अपने भविष्य निधि खाते में या राष्ट्रीय रक्षा कोष में जमा करने की इच्छा प्रकट की है और इस प्रकार अपने उत्तरदायित्व और देशभक्ति की श्रेष्ठ भावना का परिचय दिया है; मैं जल्दी ही दूसरा वक्तव्य देने वाला हूँ, उसमें यह बात और भी स्पष्ट कर दूँगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि समाज के अन्य सभी वर्ग भी उनका अनुकरण करेंगे और एक महीने में कम से कम एक दिन की आमदनी को और बचाकर राष्ट्रीय रक्षा कोष में दिया करेंगे या विभिन्न बचत योजनाओं में लगाएँगे।

11. हम शीघ्र ही राष्ट्रीय रक्षा ऋणों की एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें बैंक और अन्य संस्थाएँ पर्याप्त मात्रा में धनराशि लगा सकेंगी। मुझे आशा है कि इन राष्ट्रीय रक्षा ऋणों के अन्तर्गत कम से कम 100 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठी हो जाएगी।

12. परन्तु सम्मानित सदस्य यह तो जानते हैं कि हमें हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हमें ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिनसे आयात की माँग पर सामान्य रूप से अंकुश रखा जा सके। हमें खास तौर से इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस्पात और इस्पात से बनी वस्तुओं जैसी सामरिक महत्व की सामग्री के उपयोग पर और जस्ता, ऐल्यूमिनियम तथा तांबा जैसी अलौह धातुओं के उपयोग पर भी अंकुश रहे। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे सभी राजस्व संबंधी उपाय करने होंगे, जिनसे आयात वस्तुओं के प्रयोग में कमी हो और सामान्य रूप से दुर्लभ वस्तुओं की खपत घटे।

13. वित्त अधिनियम 1971 की धारा 4 के अंतर्गत ऐसी शक्तियाँ पहले से ही प्राप्त हैं जिनके द्वारा आयात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सीमा शुल्क पर नियामक शुल्क लगाया जा सकता है। मैं वर्तमान संदर्भ में इस शक्ति का उपयोग करना चाहता हूँ और खाद्यानों, पुस्तकों और कुछ अन्य विशेष प्रकार की वस्तुओं को छोड़कर आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य पर 2·5 प्रतिशत की दर से सामान्य शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त उसी नियामक व्यवस्था के अंतर्गत ही, कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की ऊँची दर से शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव है।

14. वित्त अधिनियम 1971 की धारा 7 के अंतर्गत ऐसा ही एक उपबंध है जिसके अनुसार

केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह देश में उत्पादित वस्तुओं के संबंध में, ऐसे ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए, नियामक उत्पादन शुल्क लगा सकती है। कुछ वस्तुओं, जैसे लोहे और इस्पात से बनी वस्तुएं, तांबा, जस्ता, ऐल्यूमिनियम और अनिर्मित तंबाकू के संबंध में इस उपबंध का उपयोग करने का प्रस्ताव है। लोहे और इस्पात तथा अन्य धातुओं पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क, आयात पर संतुलनकारी शुल्क के बिना, केवल देशी उत्पादन पर ही लगेगा और इस प्रकार इससे, देशी और विदेशी वस्तुओं की कीमतों में जो अंतर है, वह कम हो जाएगा। तीनों अलौह धातुओं पर लगने वाले शुल्कों का इस प्रकार क्रम-निर्धारण किया गया है कि उससे उनके प्रयोग में सामान्य रूप से किफायत होगी और ऐल्यूमिनियम के प्रयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। अनिर्मित तंबाकू पर शुल्क लगाने से, जिसे पिछले बजट में अछूता छोड़ दिया गया था, काफी बड़ी रकम प्राप्त होगी और इससे एक पूरे वर्ष में लगभग 9 करोड़ रुपये मिल सकेंगे।

15. जूट उद्योग के संबंध में भी एक प्रस्ताव है, क्योंकि देश और विदेश दोनों जगह जूट निर्मित वस्तुओं के बाजार में तेजी रहने के कारण लाभ की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। मैं इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता हूँ और गलीचे के अस्तर (कारपेट बैंकिंग) और हेसियन पर निर्यात शुल्क में 400 रुपये प्रति टन की वृद्धि करना चाहता हूँ। मैं टाट (सैकिंग) पर लगने वाले उत्पादन शुल्क में भी 175 रुपये प्रति मैट्रिक टन की वद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ।

16. उपर्युक्त सभी प्रस्तावों को प्रभाव में लाने वाली सभी अधिसूचनाएँ जारी की जा रही हैं और वे तत्काल लागू होंगी। इन अधिसूचनाओं की प्रतियाँ सदन के पटल पर रखी जा रही हैं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1265/71]**

17. यह भी प्रस्ताव है कि विदेशी कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा देय आयकर पर 2·5 प्रतिशत की दर से अधिभार (सरचार्ज) लगाया जाए। यह नया अधिभार उन चालू आमदनियों के संदर्भ में लागू होगा जो 1972-73 के निर्धारण-वर्ष में निर्धारण के लिए वाजिब होंगी। इस नए अधिभार को आयकर अधिनियम के अंतर्गत, अग्रिम कर की अदायगियों की वर्तमान योजना के जरिये इकट्ठा करना संभव नहीं होगा। अत: इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक विधेयक पेश करना आवश्यक होगा। इस विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था होगी कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के लिए अन्यथा देय अग्रिम कर के 2·5 प्रतिशत के बराबर की राशि 15 मार्च, 1972 से पहले अदा कर दी जानी चाहिए। इस प्रकार एकत्र किए गए अधिभार की रकम को 1972-73 के निर्धारण-वर्ष के लिये आय कर की देनदारी के रूप में जमा मान लिया जाएगा। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में लगभग 10 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, जिसमें से 7·5 करोड़ रुपया इस वर्ष वसूल हो जाने की आशा है। इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए मैं एक अलग विधेयक पेश करूँगा।

18. सभी प्रस्तावित उपायों से कुल मिलाकर एक पूरे वर्ष में 135 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें से 60 करोड़ रुपया सीमा शुल्क के रूप में और 65 करोड़ रुपया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में मिलेगा। चालू राजस्व वर्ष के शेष भाग में लगभग 40 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

19. मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य सहमत होंगे कि जिन उपायों को मैंने प्रस्तुत

किया है, उनसे वर्तमान चुनौती का उत्तर देने के लिए हमारी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ होगी। स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य सैन्य-समान दलों के हमारे जवानों का शौर्य और पराक्रम हम सब से भी ऐसे ही त्याग की अपेक्षा करता है कि हम भी रक्षा-प्रयत्नों में अधिक से अधिक योगदान दें। महोदय, मैंने इसी उद्देश्य से वक्तव्य देने के लिए इस सम्मानित सदन का अनुग्रह चाहा था। धन्यवाद।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त अन्तरिम राहत देने के संबंध में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING ADDITIONAL INTERIM RELIEF TO CENTRAL GOERNVENT EMPLOYEES

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 12 महीने का औसत 228 पर पहुँचने के कारण, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत मंजूर करने के प्रश्न पर सरकार ने, तीसरे वेतन आयोग के साथ परामर्श करके विचार किया है। आयोग ने यथोचित विचार करने के बाद सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 अक्तूबर 1971 से निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त अन्तरिम राहत मंजूर की जाय, जो पहले की तरह, अपने ही ढंग की मानी जाय—

वेतन श्रेणी	अतिरिक्त अंतरिम राहत, प्रति मास
रु०	रु०
85 से कम	7
85 से 209 तक	8
210 से 499 तक	10
500 से 1250 तक	15
(उपयुक्त सीमान्त समायोजन के अधीन)	

आयोग ने यह राय भी व्यक्त की है कि उपर्युक्त राहत देने में, जीवन-निर्वाह मूल्य सूचकांक की 12 महीने की औसत 228 तक हिसाब में ले ली गयी है।

2. सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया है। इसमें ग्रस्त अतिरिक्त व्यय पूरे वर्ष में लगभग 37 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और चालू वर्ष में यह लगभग 15·45 करोड़ रुपये होगा।

3. दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट की अंग्रेजी में प्रतियाँ, मैं सभापटल पर रख रहा हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1266/67**] रिपोर्ट का हिन्दी रूपान्तर अभी तैयार

नहीं है, जिसको अलग से शीघ्र ही सभापटल पर रख दिया जायेगा। इस संबंध में, मैं सदन से माफी चाहता हूँ।

4. संयुक्त परामर्शदाता तंत्र योजना के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय परिषद् में कर्मचारी पक्ष की स्थायी समिति के सदस्यों ने वर्तमान आपात स्थिति के संदर्भ में कर्मचारियों की ओर से प्रस्ताव रखा है कि अतिरिक्त अन्तरिम राहत के कारण, अक्तूबर और नवम्बर, 1971 के लिए दी जाने वाली रकमों को कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा कर दिया जाय। जिन कर्मचारियों का इस समय भविष्य-निधि खाता नहीं खुला हुआ है, वे इन रकमों को राष्ट्रीय बचत योजना में लगायेंगे। सरकार ने कर्मचारियों की ओर से व्यक्त इस सद्भावना की बहुत बहुत प्रशंसा की है और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। कर्मचारियों की बहुत सी संस्थाओं ने वर्तमान आपात स्थिति के दौरान प्रत्येक माह एक दिन का वेतन राष्ट्रीय रक्षा कोष में स्वेच्छा से देने का भी प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय परिषद् की कर्मचारी पक्ष की स्थायी समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया है कि मजदूरी अदायगी अधिनियम में तदनुसार समुचित संशोधन किया जाय जिससे कि वेतनों में से कटौती करके इस प्रकार के अंशदान को राष्ट्रीय रक्षा कोष में जमा किया जा सके। कर्मचारियों की ओर से जिस भावना से यह सुझाव दिया गया है, सरकार उसका स्वागत करती है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। इसको कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की जो अन्य श्रेणियाँ संयुक्त परामर्शदाता तंत्र योजना में शामिल नहीं हैं, वे भी इस अवसर के प्रति जागरूक होकर, अपने लिये भी इस व्यवस्था को कार्यान्वित करवाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम चाहते हैं कि सरकार राष्ट्रपति निक्सन के मन्तव्य के बारे में वक्तव्य दे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय राज्य सभा में आ रहा है और उन्होंने वहाँ जाना है।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन रक्षा कोष में देने का निश्चय किया है। मुझे आशा है कि अन्य भी इसका अनुकरण करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार इस पर वक्तव्य देगी ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस मामले को उठाना चाहता हूँ...।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस विषय पर पूर्वसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने आपको पहले ही लिखा हुआ है। राष्ट्रपति निक्सन ने हमारे देश को धमकी दी है। हम यहाँ इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री हीरेन मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इस समय जबकि सभा का अधिवेशन चल रहा है, राष्ट्रपति निक्सन की धमकी की चुनौती स्वीकार की जानी चाहिए। सरकार को

चाहिए कि इस विषय पर यहाँ चर्चा की जाये। यदि ऐसा नहीं होता है तो संसद एक मजाक बनकर रह जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम श्री निक्सन के मन्तव्यों से भलि-भाँति अवगत हैं, वे अन्य देशों को भारत-पाक युद्ध तथा बंगला देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में लाना चाहते हैं। प्रधान मंत्री ने अन्यत्र इस संबंध में वक्तव्य दिया है तो वह क्यों नहीं इस सभा को विश्वास में लेती हैं।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : This is a very important matter. It involves not only America but China also. The Government should take the House into confidence.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस आपात स्थिति में यह सभा किसी उद्देश्य से कार्य कर रही है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं और धमकियों से इसे अवगत न रखा गया तो हम कैसे सरकार को परामर्श दे सकेंगे।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : हमारे विचार में हमें राष्ट्रपति निक्सन की धमकियों की उपेक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : खाद्य तथा कृषि मंत्री अब वक्तव्य देंगे।

चीनी संबंधी नीति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. SUGAR POLICY

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि सदन को मालूम है, हाल ही के सप्ताहों में तेजी से बढ़ रहे चीनी के मूल्यों से काफी चिन्ता पैदा हो गई है। सरकार यह महसूस करती है कि इस वृद्धि के लिए शायद ही कोई औचित्य है। पहली अक्तूबर, 1971 को 14 लाख मीटरी टन का अवशेष स्टाक था और चालू मौसम में 33 से 34 लाख मीटरी टन चीनी का अनुमानित उत्पादन होगा और यह कुल मिलाकर 47 से 48 लाख मीटरी टन बैठेगा जिससे लगभग 40 लाख मीटरी टन चीनी की आन्तरिक खपत संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। अतः दोनों ज्वांइट स्टाक और सहकारी क्षेत्रों के उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया था। इस बात पर बल दिया गया था कि इस समय चल रही स्थिति को देखते हुए चीनी के मूल्य के सूचकांक को काबू में रखना और साथ ही साथ उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य की अदायगी सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है ताकि 1969-70 से चीनी के उत्पादन में जो कमी आयी थी उसे दूर किया जा सके और 1972–73 में उत्पादन में वृद्धि हो सके।

2. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि चीनी उद्योग स्थिति की गम्भीरता तथा उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य देने की आवश्यकता को अच्छी तरह समझता है। उन्होंने आपातिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति और उचित मूल्य की

दुकानों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण के लिए कारखाने पर निर्धारित 150 रुपये प्रति क्विंटल, जिसमें उत्पादन-शुल्क शामिल नहीं है, के मूल्य पर मासिक नियुक्ति का 60 प्रतिशत सरकार को देना मान लिया है। गन्ना उत्पादकों, उद्योग और उपभोक्ता के समूचे हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह मूल्य मान लिया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, अधिकांश स्थानों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनी आवश्यकताओं के उचित भाग को लगभग 2 रुपये प्रति क्विटल पर खरीद सकना सम्भव हो पायेगा। दिल्ली में यह मूल्य थोड़ा सा अधिक होगा क्योंकि यहाँ पर चुंगी शुल्क अधिक है। आशा है कि इस व्यवस्था को बहुत शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। यदि इस उपाय से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तब स्थिति के अनुसार सरकार कड़े पग उठाने में संकोच नहीं करेगी।

निर्वाचन विधि में संशोधनों संबंधी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON AMENDMENTS TO ELECTION LAW

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय का बढ़ाया जाना

Extension of time for presentation of report of Joint Committee

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा निर्वाचन विधि में संशोधन संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बजट सत्र (1972) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं इसलिए आपको काफी समय मिल जायेगा। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा निर्वाचन विधि में संशोधनों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बजट सत्र (1972) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की नियमित कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व मैं सभा को एक सूचना देना चाहता हूँ। सरकार का विचार नौसेना और विमान पुरस्कार विधेयक 1971 प्रस्तुत कर उसे शीघ्र पारित करवाने का है। इस विधेयक से पाकिस्तान को युद्ध का सामान ले जाने

वाले विदेशी जहाजों को नौसेना द्वारा रोका जा सकेगा। मैंने सरकार से कह दिया है कि वह आज या कल इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है। हमारी ओर से कोई कठिनाई नहीं होगी। विधेयक की प्रतियाँ सदस्यों को उपलब्ध करवा दी जायेंगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : इस पर आज विचार किया जायेगा या कल ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने रक्षा मंत्री से कहा है कि वह इसे आज ही पेश कर दें। कल ही इस पर विचार कर लिया जायेगा और बाकी कार्यवाही बाद में होती रहेगी।

कोकिंग कोयला खान (आयात उपबन्ध) विधेयक

COKING COAL MINES (EMERGENCY PROVISIONS) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब कोकिंग कोयला खान (आयात उपबन्ध) विधेयक पर विचार आरम्भ किया जायेगा। चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है अतः मैं सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि उन्हें कम से कम समय लेना चाहिए।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि सरकार ने 214 कोक कोयला खानों का स्वामित्व तथा प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है परन्तु फिर भी लगभग 400 कोयला खानें, 200 बिहार में तथा 200 पश्चिम बंगाल में ऐसी हैं, जिनका स्वामित्व अभी भी प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में है। जब कोयला खानों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 214 खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तो फिर इन 400 खानों को क्यों छोड़ दिया गया है।

विधेयक का समर्थन करने के साथ ही मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरों के बोनस, मजूरी आदि संबंधी जो सुविधायें दी जा रही हैं, क्या वह सुविधायें उन्हें मिलती रहेंगी ? क्या कोयला खानों की ओर मजदूरों की बकाया धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा ? क्या नैमित्तिक मजदूरों को भी इन कोयला खानों में काम दिया जायेगा ? चौथी बात यह है कि क्या इन राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का प्रबंध सरकार द्वारा नियुक्त अफसरों द्वारा ही चलाया जायेगा या उसमें कर्मचारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जायगा ? मंत्री महोदय को इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना चाहिये।

मंत्री महोदय ने यह बताया है कि इस्पात उद्योग के हित के लिए ही इन खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो क्या इस्पात उद्योग केवल राष्ट्रीयकृत खानों से ही कोक कोयला लेगा या फिर वह राष्ट्रीयकृत खानों को क्षति पहुँचाने के लिए प्राइवेट खानों से कोक कोयला लिया करेगा ?

जब इन कोयला खानों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया था, तो उसकी बहुत आलोचना की गई थी। विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया था कि इन कोयला खानों का दैनिक

उत्पादन 3,000 से 4,000 टन होना चाहिए जब कि पहले यह उत्पादन केवल 100 टन होता था। इसी संबंध में दूसरी बात यह है कि उद्योगपतियों द्वारा इस उद्योग में जो पूँजी निवेष किया गया है वह बहुत कम है। उद्योगपतियों ने इन खानों से सभी प्रकार की मूल्यवान सम्पत्ति यथा मशीनों, गाड़ियों आदि को हटा लिया है। इस प्रकार की वस्तुओं को वहाँ से हटा कर, अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है? समाचार-पत्रों में यह समाचार भी प्रकाशित हुआ था कि मशीनों के साथ-साथ खान मालिकों ने मजदूरों की अनुपस्थिति से संबद्ध रजिस्टरों आदि को भी छिपा लिया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने झूठे आँकड़े प्रस्तुत कर अधिक मुआवजा प्राप्त कर लिया है और अब उसे छिपाने के लिये वह यह सब कर रही है। इतना ही नहीं उन लोगों ने अपने विशेषज्ञों आदि को अपने मुख्यालय भेज दिया है ताकि उनकी सेवाओं का उपयोग वह अन्य कार्यों के लिए कर सके। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि इन सब कार्यों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि सरकार को सभी खानों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए ताकि प्राईवेट लोगों के हाथ में कुछ भी न रहे और वह हमारे लिए समस्यायें उत्पन्न न कर सकें।

मंत्री महोदय ने स्वयं बताया है कि सरकार ने लगभग 350 लाख रुपये प्रति मास की दर से मुआवजा देना है परन्तु यह नहीं बताया गया कि यह मुआवजा कब तक दिया जायेगा।

इतना ही नहीं, कोयला खानों के विकास के लिए 287·80 लाख डालर का ऋण विश्व बैंक से लिया गया था। यह सारा धन इस उद्योग के आधुनिकीकरण के नाम पर खर्च कर दिया गया है। जब इन खानों को सरकार ने अपने हाथ में लिया तो इसमें से 17 करोड़ रुपया देना बकाया था। मैं समझता हूँ कि यह बकाया भी सरकार को ही अदा करना पड़ेगा। इतना ही नहीं इन खान मालिकों ने मजदूरों की भविष्य निधि का 15 करोड़ रुपया भी बैंक में जमा नहीं करवाया है।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो इतना अधिक मुआवजा दिया जा रहा है, सरकार को यह नहीं देना चाहिये क्योंकि इन लोगों ने देश को बहुत लूटा है।

अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इन खानों में कलकत्ता स्थित मुख्यालय में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनकी छँटनी न कर दी जाये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे यहाँ सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों को खपा लिया जाये और किसी की भी छंटनी न की जाये।

अपनी इन मांगों के साथ ही मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम रह गया है। आपको केवल 3 या 4 मिनट में अपनी बात कह देनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : श्रीमान जी, मैं विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।

हमारे कोक कोयले के भंडार बहुत सीमित हैं। अत: सरकार को इसके बारे में स्पष्ट रूप से आश्वासन देना चाहिये कि कोक-कोयले का उपयोग केवल मौसम विज्ञान से सम्बद्ध कार्यों के लिये ही किया जायेगा।

सरकार ने जिन खानों को अपने अधिकार में लिया है, उनका पुर्ननिर्माण किया जाना चाहिये। इन खानों को मुआवजा देने के बारे में भी सरकार को कड़ी नीति अपनानी चाहिये। मजदूरों को सभी प्रकार के शोषण से बचाया जाना चाहिए। इन खानों के प्रबन्ध तथा स्वामित्व में बिहार राज्य को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिये। कोक कोयला खानों का कार्य अलग होना चाहिये और इसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के साथ मिलाकर उसके दायित्व को और नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एक बहुत बड़ा संगठन है और इसे रूस की तरह ही दो एककों में बाँट दिया जाना चाहिये।

कोयले के ढोने का कार्य अपने आप में एक बड़ी समस्या है और इसे सुलझाने के लिये व्यापक योजना बनाई जानी चाहिये।

अपने इन सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने भाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक अच्छी प्रथा है परन्तु आप यह प्रति मंत्री महोदय को दे सकते हैं। सभा पटल पर इसे नहीं रखा जा सकता।

SHRI DAMODAR PANDEY (Hazaribagh) : Mr. Speaker, Sir, at the outset I would like to congratulate the hon. Minister for this useful piece of legislation which will benefit the labours immensely.

As I understand from Minister's statement about re-organisation, they were to make a joint production pool of all the small units. On the basis of last experience, it can be said that the big machines imported by the mine owners have not proved useful. Machines worth crores of rupees are lying idle. Thus I feel that Government should not import more machines in the name of modernisation.

In case of collaboration with foreign countries, I feel that it should be confined to those specialised sectors alone which require special skill. At the same time we should see that the fire which is raging in the Jharia and other coal mines should be put out and national wealth worth crores of rupees should be saved.

The minimum wage is being paid by the nationalised coal mines. Although contract labour has been abolished in many sectors yet the exploitation of the labourers in some form or the other is continuing unabeted. I feel that Government should look into it and put an end to this evil practice.

Another point which I would like to add is that though the private mill owners were cruel, still they used to do some good also. The schools and charitable institutions etc. which were being run by the coal mine owners should be given necessary protection and assistance by the Government also.

Lastly, I would like to say that compensation to colliery owners should be given on

the basis of their average production. The payment of compensation should be made after deducting the dues of Provident Fund, Bonus etc. due to the labourers.

It is a progressive measure and about 2 lacs and 20 thousand labourers will be benefited by it. The Government should nationalise the remaining collieries also.

SHRI K. M. MADHUKAR (Kesaria) : Mr. Speaker, Sir, I welcome this legislation because it has hit upon the capitalists. This sort of legislation was being constantly demanded by A.I.T.U.C. and other progressive labour organisations.

I am of the view that no compensation should be paid to the colliery-owners. These mine owners have misappropriated property and assets worth lacs of rupees after they came to know about this decision of the Government. These mine-owners transferred assets worth lacs of rupees in the name of trusts or charitable institutions which were being run by them. Not only that huge funds have been withdrawn from the accounts of the mines and every effort has been made to make this ordinance ineffective.

It has been brought to my notice that mine-owners have come to know of this ordinance a week before its promulgation. The Government should look into this matter as to how this vital information leaked out.

I would like to inform the House that the owner of Amlabad Colliery had taken a loan of six crores from the World Bank. A French coal cutting Machine was imported by this loan. But now this machine is not traceable. Similarly several jeeps, trucks, machines, pumps and pipes have also met the same fate and several other coal-mines have done similar acts. Hence they do not deserve any compensation and no compensation should be paid to them.

The administration of nationalised coal-mines should be saved from the clutches of bureaucracy. I have been informed that the people, from whom royalty of Bihar Government is due, are trying to join management to avoid the payment of royalty. Government should take note of such tacties.

The Government should also take into consideration the amount of Provident Fund, Gratuity and other dues to be paid to labourers by mine-owners. The various Trade Union Leaders have submitted a Memorandum to the Government in which different problems of mine labourers have been highlighted. The Government should study these problems and appropriate solution of these problems should be brought out.

Now after having taken over these coal mines, Government should see that there should be labour participation in the management and labour problems should be dealt with sympathetically. The Trade Union Leaders should also be consulted in this regard. If all this is done, only then the object of this Bill will be achieved.

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : कोक कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के बारे में सरकार ने पहले जो अध्यादेश जारी किया था, उसका तथा इस विधेयक दोनों का मैं स्वागत करता हूं। हमें यह बताया गया है कि 1937 से लेकर सभी समितियों ने इन खानों को अपने हाथ में लेने की सिफारिश की है और 1964 से इस पर सुचारु रूप से विचार किया जा रहा था। यह कार्य केवल यही सरकार करने में समर्थ हुई है और हमें आशा है कि सरकार शेष कोयला खानों को भी शीघ्र ही अपने अधिकार में ले लेगी।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान विधेयक के खंड 6 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें "मुआवज़ा" शब्द का प्रयोग किया गया है। जब हाल ही में संविधान संशोधन कर दिया गया था तो फिर इस शब्द को विधेयक में स्थान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय को एक संशोधन दिया है।

खंड 17 के अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन खानों के भूत-पूर्व मालिकों द्वारा किये गये समझौतों की जाँच पड़ताल भी कर सकती है।

गत सात वर्षों से कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का मामला विचाराधीन रहा है। गत सात वर्षों के दौरान में खान मालिकों के साथ कई करार और ठेके किये गये होंगे जिससे सरकारी प्रयत्नों में कठिनाई पैदा हो सकती है। यदि इस खंड में 1964 से आज तक की अवधि को सम्मिलित कर लिया जाये, तो यह अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

खान मालिकों ने अकेली बिहार सरकार को ही 4 करोड़ रुपये की राशि स्वामित्व के रूप में देनी है। कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में 4 करोड़ रुपये की राशि भी इन्होंने सरकार को देनी है और 10 करोड़ रुपये बिहार बिजली बोर्ड को देय है। उक्त बोर्ड को प्रति वर्ष 32 करोड़ रुपये की हानि होती है। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि सरकारी राशियाँ वसूल किये बिना मुआवजा क्यों दिया जा रहा है।

कई संसद सदस्य ऐसे हैं जो इस मामले में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। सरकार को उन्हें बोर्ड में स्थान देना चाहिये।

***श्री जे० एम० गोडर** (नीलगिरि) : देश में विद्यमान आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुये खान मालिकों को मुआवजा देने के प्रश्न पर फिर से विचार किया जाना चाहिये। विधेयक में प्रति मास 35 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह राशि कब तक दी जाती रहेगी और इस पर कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी ?

जिन 200 कोकर खानों, 6 रानी गंज की कोयला खानों और 12 कोयला भट्टी संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है क्या सरकार ने उनकी कोयला क्षमता की जाँच करली है। मुआवजा देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि खाली खानों को मुआवजा न दिया जाये।

सरकार द्वारा अक्तूबर 1970 में एक उच्च स्तरीय ईंधन नीति संबंधी समिति नियुक्त की गई थी। क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और इसकी सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

---

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised Translation version based on English Translations of Speech delivered in Tamil.

कोयले के आरक्षित भंडारों को बनाये रखने की दृष्टि से छोटी खानों को बड़ी खानों से मिलाने की योजना भी बनाई गई है। इस योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है? क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि इस अध्यादेश में कोककर कोयला भट्टी संयंत्रों को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया ?

SHRI SHANKER DAYAL SINGH (Chatra) : The 214 coking mines have been nationalized. The owners of these mines have been exploiting lakhs of mine labourers for over 10 years.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

A lot of pressure has been exerted against the nationalisation. It should be enquired into as to who were the persons who offered the nationatisation move and those persons should be punished.

The proposed headquarters of the coal mines should be located near Calcutta.

The Educational and other institutions which were run by the owners of coal mines should be given due protection.

The Government should ensure that the dues of the Central Government and the State Governments are deducted from the amount of compensation to be paid to colliery owners.

SHRI ISHWAR CHAUDHRY (Gaya) : The Government should take over all the coal mines. It is not proper to leave a few mines in the hands of the private owners when the conditions there are not satisfactory. Requisite facilities should be provided for the movement of coal lying at the pit heads.

The Government should pay the compensation only after deducting the amounts of Provident Fund, Bonus etc.

The workers who work underground should be provided more security.

SHRIMATI SAVITRI SHYAM (Aonla) : Welcome the Bill. The owners of Coal Mines have exploited the nation for long.

Now that the coal mines have been nationalized, administrative reforms should be brought about there.

Our fuel policy needs to be changed so as to benifit the common people.

The Mine owners need not be given any compensation. They have already derived ample benefit from these mines.

Lower courts should not be allowed to intervene in the matter of compensation. The recommendations of the Wage Boards of Coal Mines should be fully implemented.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : मंत्री महोदय द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ। जब कभी सरकारी कम्पनी बने, उसका मुख्यालय धनबाद में स्थापित

किया जाना चाहिए । राज्य सरकार ने भी मंत्री महोदय को अभ्यावेदन भेजा है । उन्होंने इस सुझाव का समर्थन किया है ।

अन्य बातें समान होते हुए बिहार के प्रतिभाशाली लोगों को उच्चतम कार्यकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इस प्रश्न पर विचार करने के लिये 1963-64 में राज्य सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी और इस समिति ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बिहारियों को रोजगार दिये जाने के मामले पर असंतोष व्यक्त किया था और सुझाव दिया था कि उच्चतम कार्यकारी पद बिहार के अर्हता-प्राप्त लोगों को दिये जाने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि कोयला खानों के बारे में इस मामले पर ध्यान रखा जाये ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : उप-श्रम मंत्री ने विधान सभा में यह वक्तव्य दिया है कि बिहारियों के दावों पर उचित विचार नहीं किया गया है । यदि बाहर से अभिरक्षक बुलाये जाते हैं तो वे बिहारियों के दावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेंगे । अत: बिहार के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ऊँचे कार्यकारी पदों पर रखे जाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

मंत्री महोदय को ज्ञात है कि कोयला खदानों के मालिक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करते हैं । वे श्रमिकों की मजूरी कम कर देते हैं ।

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह (छपरा) : प्रबंधक कार्य-कुशल होने चाहियें ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : यह हमारी समस्या है । असम राज्य में दूसरे राज्य के लोगों को············

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें असम अथवा बिहार का कोई प्रश्न नहीं है·········

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह : यह हमारी मुख्य बात है । आप हमारा मुंह बन्द नहीं कर सकते हैं········ --

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, शांत । माननीय सदस्य बाधा न डालें । वह जो कुछ कहेंगे, कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह **

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं कोयला खदानों के मजदूर संघों से संबद्ध रहा हूँ, वहाँ बहुत से श्रमिकों को या तो नैमित्तिक श्रमिक या ठेके के श्रमिकों के रूप में रखा जाता है और मजूरी बोर्ड के पंचाट के अनुसार उन्हें कभी भी मजूरी नहीं दी जाती है············

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

** Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्रम और पुनर्वास मंत्रालय पर चर्चा होगी तो ये बातें संगत होंगी। इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं ये प्रश्न इसलिये उठा रहा हूँ कि अपनी बात पूरी कर पाऊँ। वहाँ श्रमिकों का शोषण किया जाता है। यदि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जायेगा तो इन श्रमिकों का इसी प्रकार शोषण किया जाता रहेगा········

SHRI RAMSHEKHAR PRASAD SINGH (Chapra) : I welcome the objects and reasons of this Bill. The central Government has ended the reign of terror prevalent in Dhanbad area by taking over the management of collieries. This action of the Government has fostered security of work in the minds of the workers. The Government can not succeed in their actions unless the machinery and the staff are good and efficient.

The Biharis have never been affected by the regional feeling. Seven or eight commissioners in Bihar belong to other States. The interests of the Biharis must be protected and they must not be allowed to be exploited. We have no objection on the reinstatement of Shri Chari as Custodian General because he is an efficient and experienced person but we have no faith in the other 24 small custodians.

The whole country is united towards the Government's aim of nationalisation but our rights must not be taken away and our state should not be treated as a colony.

An hon. Member has said that there are so many proprietors of big collieries but at the same time there are small colliery proprietors. When these collieries are taken over, the Government will have to perotect the interests of the proprietors and the labourers who will be rendered jobless.

The location of offices must be in Bihar and not in Calcutta.

SHRI SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur) : The word 'compensation' must be deleted from the Bill because it amounts to royalty.

The contractors must not be allowed to function in the mines.

There is the biggest mining college of East Asia at Dhanbad. Students from abroad come to study there. So, I do not think there is any need of collaboration with Poland. There are mining engineers in Bihar and they must be appointed against higher posts.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : केवल बिहार के माननीय सदस्यों को ही इस बारे में बोलने दिया जा रहा है। केरल के लोगों को भी ऐसे मामलों में प्रभावित होना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य कारण यह है कि ये खानें अधिकतर बिहार में हैं।

SHRI SWARAN SINGH SOKHI : The coke oven plants are the integral parts of the coal mines and they should also have been taken over. The hon. Minister should consider the financial implications of litigation. The courts must not intervene in it.

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है। कोक कोयला खानों के हाथ में लिये जाने से देश की अर्थ-व्यवस्था का हित होगा।

यह बात समझ में नहीं आई कि श्रमिकों को जो सुविधायें दी गई हैं, उन्हें जारी रखा जाये। जिस श्रमिकों को सुविधायें नहीं दी गई थीं उन्हें भी अब सुविधायें दी जा रही हैं, जो मजूरी उचित ढंग से अदा नहीं की जाती थी, जो भविष्य निधि की राशि जमा नहीं की जाती थी, आदि सभी सुविधायें अब दी जा रही हैं। मजूरी बोर्ड द्वारा निर्धारित मजूरी पूरी नहीं दी जाती थी। उसे दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 200 कोयला खानों की गड़बड़ 1 दिन, 1 महीने अथवा 1 वर्ष में दूर नहीं की जा सकती है।

खान मलिकों की पुस्तकों पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि राष्ट्रीयकरण के ठीक पहले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। 17 अक्तूबर को बकाया राशि के रूप में श्रमिकों को जो कुछ भी अदा किया जाना चाहिये था, वह मालिकों को पाई-पाई का मुआवजा दिये जाने के बाद अदा की जायेगी। श्रमिकों की राष्ट्रीय बकाया राशि जब तक नहीं अदा की जायेगी तब तक कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

यह भी कहा गया है कि बिहारियों को रोजगार दिया जाना चाहिये। बिहार की गैर-सरकारी कोयला खानों के 120 वरिष्ठ अधिकारियों में से 20 प्रतिशत बिहारी थे। इस समय जिन अभिरक्षकों को नियुक्त किया गया है, उनमें से पचास प्रतिशत बिहारी हैं। कोक कोयला खानों के भूतपूर्व मालिकों के आँकड़ों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि वे वर्तमान प्रबन्ध को नीचा दिखाना चाहते हैं।

प्रबन्धक यह देखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में बिहारियों के हितों की रक्षा की जाये। कठिनाई यह है कि जो लोग गत 34 वर्ष से राष्ट्रीयकरण का विरोध करते रहे हैं वे ही आज हर बात में बिहारियों के संरक्षक बन गये हैं। कोक कोयला खानों के संबंध में बिहारियों के साथ न्याय किया जा रहा है और किया जायेगा।

जहाँ तक कोक कोयला खानों के मुख्यालयों का संबंध है वह धनबाद में ही होगा क्योंकि अधिकांश खानें वहीं हैं। हम भारतीय हैं और भारत के सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वहाँ रोजगार मिलना चाहिये। कोक कोयला खानों के ढाँचे को दुबारा बनाने का कार्य कठिन है जिस का हम और हमारी सरकार मुकाबला कर रहे हैं।

जहाँ तक इस बात का संबंध है कि उन्हें दिवालिया क्यों होने दिया गया, इस बारे में मेरा यह कहना है कि मैं तो छः महीने पहले इस मंत्रालय में आया हूँ, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें शीघ्रातिशीघ्र दुरुस्त कर दिया जाये।

जहाँ तक मेरे वारिष्ठ मित्र श्री के० डी० मालवीय—जो भूतपूर्व खान मंत्री हैं—के इस प्रश्न का संबंध है कि जिन लोगों के मस्तिष्क में यह विचार था कि ये खानें एक न एक दिन सरकार द्वारा हाथ में ले ली जानी हैं तो वे इन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करें तो क्या इन्हें मुआवजा देते समय उनके इस विचार को ध्यान में रखा जायेगा, इस बारे में विचार किया जायेगा और उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिये।

कोक ओवन को अध्यादेश में सम्मिलित न किये जाने का एकमात्र कारण अनभिज्ञता हैं। कुछ मामलों में कोक ओवन्स को अलग नहीं किया गया था और उन्हें हाथ में ले लिया गया।

जहाँ तक इस बात का संबंध है कि कोक कोयला खानों के मालिकों को इनके राष्ट्रीयकरण का कैसे मालूम हुआ। मैंने इस वर्ष 1 जुलाई को अनुदानों की माँगों के उत्तर में कहा था कि उससे ये खान मालिक विचलित हो गये और पता लगाने की कोशिश करने लगे। कुछ कारें बेचे जाने के अलावा हमें कोई हानि नहीं हुई है। 17 अक्तूबर के बाद से देश में कोक कोयले का उत्पादन घटा नहीं बल्कि बढ़ा ही है।

कलकत्ता के कर्मचारियों में जो कर्मचारी कोक कोयला के काम से संबद्ध नहीं थे उन्हें भी गैर-सरकारी क्षेत्र के कोक 'कोयला क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया परन्तु हमने जाँच समिति गठित की है और उन्हें ही लिया जायेगा जो कोक कोयला से संबद्ध हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कोक कोयला क्षेत्र अस्पष्ट शब्द है। एजेन्सी गृहों में कोयला विभाग के कर्मचारियों का क्या होगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : उन सभी कम्पनियों के कोयला विभाग के सभी कर्मचारियों को हम नहीं लेंगे क्योंकि गैर-सरकारी संगठनों में अभी तो बहुत सी कोयला खानें बची हुई हैं। ऐसा करने से काम ठीक ढंग से नहीं होगा तो सरकारी क्षेत्र अकार्यकुशल बताये जायेंगे।

कानून के अनुसार निर्माण करने वाले श्रमिकों को रखा जाता है परन्तु कोयला खानों के वास्तविक कार्यकरण के लिये ठेके के श्रमिकों को पूर्णतया हटाना पड़ेगा।

यह प्रश्न किया गया था कि गैर-कोक कोयला खानों को हाथ में क्यों नहीं लिया गया। 214 कोक कोयला खानों को हाथ में लेना भी बड़ा भारी काम है क्योंकि उन्हें कार्यकुशलता से चलाना होगा। हमारे कोक कोयला के निक्षेप सीमित हैं जिसे सर्वोत्तम ढंग से निकालने पर भी 50 अथवा 75 वर्ष लग सकते हैं और साधारण कोयले के निक्षपों में तो 500 वर्ष अथवा इससे अधिक समय लग सकता है।

जहाँ तक कोक कोयला का संबंध है, इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए हम इस कोयले पर नियन्त्रण रखते हैं। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हम साधारण कोयला की देख-भाल नहीं कर रहे हैं। यदि कोयला खान मालिक ठीक प्रकार से कार्य करते हैं, उचित रूप से निक्षेप करते हैं, मजूरी बोर्ड के पंचाटों को कार्य रूप देते हैं और अच्छे उद्योगपतियों की तरह दूरदर्शिता से काम लेते हैं, यो यह और बात है अन्यथा सरकार को पता है कि उन्हें क्या करना है।

''क्षतिपूर्त्ति'' शब्द हटाने की माँग की गई है। इस संबंध में जो संशोधन दिया गया है, उसे स्वीकार कर लिया गया है। 'क्षतिपूर्त्ति' शब्द हटाकर उसके स्थान पर 'राशि' शब्द रखा जायेगा।

सदस्यों ने विधेयक को जो समर्थन दिया है, मैं फिर से उसके लिये धन्यवाद देता हूँ। मेरा उनसे एक अनुरोध है कि वे सरकार के प्रति थोड़े दयालु रहें जिससे कि हम मजदूरों के प्रति न्याय कर सकें। पच्चीस वर्ष में जो गलत कार्य हुए हैं, उनको थोड़े से समय में दूर नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोक कोयला खानों और कोक भट्टी प्लांटों का राष्ट्रीयकरण होने तक लोक हित में उनके प्रबंधक-ग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 22, अनुसूचियाँ तथा खंड 1

Clauses 2 to 22 and the Schedules and Clause 1

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 2 to 5 were added te the Bill.

खंड 6, प्रतिकर का संदाय

Payment of Compensation

श्री नवलकिशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें कहा गया है कि "प्रतिकर" के स्थान पर "रकम" प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : संशोधन का उद्देश्य हमें स्वीकार्य है परन्तु जिन शब्दों में यह संशोधन रखा गया है, वे पूर्णतया उचित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि प्रत्येक संशोधन के लिये 1 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिये परन्तु पीठासीन अधिकारी को एक विशेषाधिकार है जिसे विशेष परिस्थिति में उपयोग में लाया जा सकता है। यदि कोई संशोधन सरकार को स्वीकार्य है और उसकी शब्दावली उचित नहीं है तो पीठासीन अधिकारी को पहले से ही इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिये। नियमानुसार कार्य किया जाना चाहिए।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैंने श्री नवल किशोर सिन्हा के संशोधन संख्या 9 के शब्दों में परिवर्तन कर उसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि उसके अन्तर्गत सभी चीजें आ जायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : क्योंकि मंत्री महोदय ने श्री नवल किशोर सिंह के संशोधन को उद्देश्य रूप में स्वीकार कर लिया है, अतः उन्हें अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिए।

श्री नवल किशोर सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 9 वापस लेता हूँ।

संशोधन संख्या 9 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 9 was, by leave, withdrawn.

संशोधन प्रस्तुत हुए

पृष्ठ 6, पंक्ति 51 में :

'compensation' (प्रतिकर) शब्द के स्थान पर 'an amount' (एक रकम) प्रतिस्थापित किया जाये (संख्या 10);

पृष्ठ 7, पंक्ति 3 में :

'shall be' (होगी) शब्दों के स्थान पर 'shall be computed at the rate of' (की दर से संगणित की जायेगी) प्रतिस्थापित किया जाये (संख्या 11);

पृष्ठ 7,

(i) पंक्ति 2 तथा 3 में 'of compensation' (प्रतिकर की) का लोप किया जाये;

(ii) पंक्ति 7 में 'of compensation' (प्रतिकर की) का लोप किया जाये;

(iii) पंक्ति 14 में 'of compensation' (प्रतिकर की) शब्दों का लोप किया जाये। (संख्या 12) (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

*

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

---

*"सभा द्वारा खंड 6 में किये गये संशोधनों की दृष्टि से, अध्यक्ष के निर्देशानुसार एक प्रत्यक्ष गलती के रूप में, खंड 6 के हाशिया शीर्षक में 'प्रतिकर संदाय' शब्दों के स्थान पर 'रकम संदाय' शब्द प्रतिस्थापित किये गये।"

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8 (प्रतिकर का संदाय)
(Payment of Compensation)

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 7,

(i) पंक्ति 31 में 'compensation' (प्रतिकर) के स्थान पर 'an amount' (एक रकम) प्रतिस्थापित किया जाये;

(ii) पंक्ति 34 तथा 35 में 'of compensation' (प्रतिकर की) का लोप किया जाये;

(iii) पंक्ति 35 में 'shall be' (होगी) के स्थान पर 'shall be computed at the rate of' (की दर से संगणित की जायेगी) प्रतिस्थापित किया जाये;

(iv) पंक्ति 43 तथा 44 में 'compensation' (प्रतिकर के स्थान पर 'amount' (रकम) प्रतिस्थापित किया जाये; (संख्या 12) ।

(श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

* **खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**
Clause 8, as amended, was added to the Bill.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 9 was added to the Bill.

खंड 10 (शास्तियाँ)
(Penalties)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करता हूँ :

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन संख्या 1 तथा 2 को स्वीकार करता हूँ, शेष संशोधनों को वह वापस लेलें ।

श्री रामावतार शास्त्री : ठीक है । मैं अपना संशोधन संख्या 3 वापस लेता हूँ ।

संशोधन संख्या, 3 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।
The amendment No. 3 was, by leave, withdrawn.

---

* "सभा द्वारा खंड 8 में किये गये संशोधनों की दृष्टि से, अध्यक्ष के निर्देशानुसार एक प्रत्यक्ष गलती के रूप में, खंड 8 के हाशिया शीर्षक में 'प्रतिकर संदाय' शब्दों के स्थान पर 'रकम संदाय' शब्द प्रतिस्थापित किये गये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"पृष्ठ 8, पंक्ति 11 में :

'mine' (खान) शब्द के पश्चात 'or removes or destroys it' (या हटायेगा या इसे नष्ट करेगा) अन्तः स्थापित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामावतार शास्त्री का संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा जायेगा ।

प्रश्न यह है :

"कि पृष्ट 8 पंक्ति 17 में 'six months' (6 मास) के स्थान पर 'two years' (दो वर्ष) प्रतिस्थापित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है ।

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 10, as amended, was added to the Bill.

खंड 11

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : श्री रामावतार शास्त्री इस व्यवस्था का तात्पर्य नहीं समझ पाये हैं, अतः उनका संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता । इस व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति यह प्रमाणित कर सकेंगे कि अपराध उनकी जानकारी में नहीं हुआ है, तो उन्हें दंड नहीं दिया जायेगा । श्री रामावतार शास्त्री को इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति निर्दोष नहीं है, तब तक वह ऐसा प्रमाणित नहीं कर सकता ।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Thc amendment No. 4 was put up and nagatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 11 was added to the Bill.

खंड 12 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 12 to 19 were added to the Bill.

खंड 20 (वे कोक कोयला खानें जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा)
(Coking Coal mines to which the Act shall not apply)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ ।

Subclause (b) of the clause 20 should be omitted. This proviso exempts those capitalists and those monopolists who own coking coal mines and are running steel industries. There is no logic in giving exemption to them. The Government should take over all the coking coal mines without exception. Hence this amendment.

श्री एस० कुमारमंगलम् : मैं माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । विधेयक का उद्देश्य लौह तथा इस्पात उद्योग की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोक कोयला संसाधनों के वैज्ञानिक विकास का संरक्षण, उसका उपयोग तथा संवर्धन है । खंड 20 में यह उपबंध किया गया है कि लौह तथा इस्पात का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की कोक कोयला खानों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा । वास्तव में इस व्यवस्था का लाभ उन कोक कोयला खानों को हो सकता है जो गैर-सरकारी क्षेत्र की लौह तथा इस्पात निगमों की खानें हैं । ये वे कोक कोयला खानें हैं, जो इंडियन आयरन एण्ड स्टील्स तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील्स को कोक कोयले की सप्लाई करती हैं । ये खानें ठीक प्रकार से चल रही हैं । इस समय इन खानों को विधेयक की व्यवस्था में लाना उचित नहीं प्रतीत होता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 5 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 20 was added to the Bill.

खंड 21 और 22 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 21 and 22 were added to the Bill.

प्रथम सूची
First Schedule

संशोधन किये गये

पृष्ठ 15, क्रम संख्या 87, स्तम्भ 2 में :

'East Loyabad' (ईस्ट लोयाबाद) शब्द के पूर्व 'Surendra' (सुरेन्द्र) अन्तःस्थापित किया जाये—(संख्या 7);

पृष्ठ 15, क्रम संख्या 87, स्तम्भ 4 में :

'Central Alkusa Colliery Company' (सेंट्रल एलकुसा कोलियरी कम्पनी) के स्थान पर 'Surendra East Loyabad Colliery Company' (सुरेन्द्र ईस्ट लोयाबाद कोलियरी कम्पनी) प्रतिस्थापित किया जाये। (संख्या 8)

(श्री एस० मोहन कुमार मंगलम्)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ी गयी।
The First schedule, as amended, was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची, खंड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The second schedule, clause 1, the enacting formula, the preamble and the title were added to the Bill.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : भविष्य निधि की राशि में जब 15 करोड़ रुपये की राशि की गड़बड़ी हुयी तो तब सरकारी मशीनरी कार्य कर रही थी। गरीब मजदूरों की

इतनी बड़ी धन राशि की गड़बड़ी का पता लगाने तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

जहाँ तक मजदूरी बोर्ड के पंचाटों को कार्यरूप देने का प्रश्न है, सरकार को यह बात ज्ञात नहीं है कि खानों के अधिकांश मालिक मजदूरों को धोखा दे रहे हैं। यही नहीं वे काला धन भी पैदा कर रहे हैं, जिसका उपभोग वे बुरे उद्देश्यों के लिए करते हैं।

जब हमारा दल पश्चिम बंगाल में सत्ता में आया तब रायल्टी की बकाया राशि को वसूल करने के लिए हमने ऐसे गिरोह पकड़े जिन पर राशि बकाया थी। यहाँ तथा बिहार में सरकार ने रायल्टी की बकाया राशि वसूल करने के लिए कौन से कदम उठाये हैं।

कोक कोयला खान मालिकों को पहले से ही पता था कि सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने जा रही, है अतः उन्होंने खानों का प्रबंध ठीक नहीं किया तथा जिस प्रकार भी अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता था उठाया।

जब चीनी से नियंत्रण हटाया गया तब भी ऐसा ही हुआ था। सरकार की कार्यवाही का सभी को पता चल गया था। चीनी मिल मालिकों ने आंशिक नियंत्रण के समय बहुत लाभ कमाया। 9 चीनी मिलों ने 9 महीनों में 12 करोड़ रुपया अतिरिक्त लाभ के रूप में कमाया। जब बीमे का राष्ट्रीयकरण किया गया तब गैर सरकारी मालिकों को इसका पता नहीं चल सका था अतः सरकार को इस विषय में कोई कठिनाई नहीं हुई। वे अधिक से अधिक चल सम्पत्ति ले गये और बैंकों से अधिक से अधिक ऋण ले गये। अभिरक्षक ने 20 अक्तूबर को धनबाद में एक पत्रकार संमेलन में कहा था कि भूतपूर्व मालिक चल-सम्पत्ति का अधिकांश भाग ले गये थे।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इस बात का बाद में खंडन हुआ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस बात को नहीं मानता। कर्मचारियों के बारे में भी निंदनीय रवैया अपनाया गया था। दंड देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, मैं सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ ? आप शेष 400 कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कब तक करने जा रहे हैं मुआवजा देने के बारे में सरकार का क्या विचार है ? 25, 30, 40 अथवा 100 सालों तक लाभ उठाने वालों को सरकार अब भी क्या मुआवज़ा देने पर विचार कर रही है ? राष्ट्रीयकरण द्वारा संरक्षकों को जो शक्तियाँ मिली हैं, उसके अनुसार वे किसी भी कर्मचारी को निकाल सकते हैं, कोयला खानों के निजी स्वामित्व के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में खपाया जाना चाहिए।

बड़े बड़े व्यापारियों को चूने को रखने के लिए 1,74,59,983 रुपये दिये गये। यह दिन दहाड़े डकैती नहीं तो और क्या है ? औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प के अनुसार सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कोयला खानों में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति में भी सुधार किया जाना चाहिए।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : I rise to support this Bill. The workers of this country have been agitating for the nationalisation of the coal mines. All these mines should be nationalised without delay.

The hon. Minister stated that after the issue of ordinance for the nationalisation or coal mines some owners of the coal mines removed jeeps from the coal mines. I want to know the manner in which the owner of the Amlabad colliery utilised the loan of Rs. 6 crores sanctioned by the World Bank. Is it a fact that valuable coal cutting machines, pumps, pipes etc. etc. were removed form Amlabad Colliery and K. Vora Co ? I want that enquiries should he made into all these misdeeds and facts placed before the House. The prices of the articles removed by the owners should he deducted from the amount to be paid to them in the form of compensation.

The question of Bihari and Non-Bihari is behing raised by those who have been owning the coal mines and are disreputed leaders of the trade unions. The Government should not pay any heed to what these people talk.

I should say one thing more. Discredited politicians should not be allowed to infilterate into the ruling congress and the Board. Secondly, disreputed trade union leaders should not be appointed as custodians.

With these words I support the Bill.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपाल गंज) : देर से आने के बावजूद भी हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं ।

जैसे कि श्री रामावतार शास्त्री ने कहा कि कोयला खानों के मालिकों द्वारा उठाई गयी वस्तुओं की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये और उठाई गयी चीजों की कीमत उनके मुआवजे की राशि में से काटी जानी चाहिये ।

मंत्री महोदय को समिति स्थापना की ओर ध्यान देना चाहिये ताकि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिल सके । छोटी-छोटी नौकरियों के लिए किसी को भी बाहर से नहीं लाना चाहिये ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि वे यहाँ नहीं हैं । श्री रामावतार शास्त्री ने कर्मचारियों की भावनाओं को व्यक्त किया है, जिनकी ओर मैं ध्यान दूंगा ।

बिहारियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा । जहाँ तक कोयला खानों की छोटी नौकरियों का संबंध है, हमारी नीति यही है कि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में छोटे कर्मचारी स्थानीय हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 14 दिसम्बर 1971/23 अग्रहायण, 1893 (शक) के 10 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till ten of the clock on Tuesday, the 14 th December, 1971-Agrahayana, 23, 1893 (Saka)

New India Printing Press, Khurja